राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन एस आई सी)

देश में लघु उद्योगों के संवर्धन, सहायता और संवृद्धि पोषण करने हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना सरकार द्वारा 1955 में की गई थी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम पूरे देश में अपने विभिन्न कार्यक्रमों और लघु उद्योग क्षेत्रों को सहायता देने के कारण देश में औद्योगिक विकास में अग्रणी रहा है। हाल ही में औद्योगिक वातावरण में आए परिवर्तन और देश में आर्थिक पर्यावरण में हुए उदारीकरण तथा अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखे गए हैं। अचानक आए इन परिवर्तनों ने देश के लघु उद्यमों के सामने बहुत से अवसर और चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 8 क्षेत्रीय कार्यालयों, 5 तकनीकी सेवा केन्द्रों, 2 विदेशी कार्यालयों, 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों, लगभग सभी राज्यों में अवस्थित 17 शाखा कार्यालयों और 3 तकनीकी सेवा विस्तार केन्द्रों के माध्यम से सीधे ही विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

प्रमुख योजनाएँ

मिश्रित आवधिक ऋण योजना

लघु उद्योगों को संवर्धित करने के लिए एन एस आई सी ने मौजूदा और भावी उद्यमियों के लाभ के लिए एक मिश्रित आवधिक ऋण योजना आरम्भ की है ताकि वे एक ही स्थान से अति लघु इकाइयों के लिए भूमि और भवन, मशीनरी, उपकरण और कार्यशील पूँजी प्राप्त कर सकें।

मशीनरी और उपकरण

किराया खरीद योजना (हायर परचेज स्कीम)

- आसान वित्तीय शर्तों पर स्वदेशी और आयात मशीनरी की आपूर्ति।
- प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के लिए मुख्य लक्ष्य।
- महिला उद्यमियों, कमजोर वर्गों, विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों पर विशेष संकेन्द्रण।
- ठोस और दुर्जेय उद्यमिता आधार बनाना।
- तीव्र प्रगति और रोजगार।

पट्टे पर उपकरण देना

- मुख्यत: लघु उद्योगों को उनकी क्षमताएँ बढ़ाने या परिवर्तन लाने और/अथवा बाजार की माँग के अनुसार प्रौद्योगिकी उन्नत करने के लिए मदद देना जोकि आर्थिक व्यवस्था में बदलाव के कारण खरीदार का बाजार बन चुकी है।
- 100% वित्तीय सहायता
- स्वदेशी/आयात मशीनरी के लिए एकमात्र जरिया
- पूरे वर्ष के किराए पर आयकर में छूट
- उत्पादकता में वृद्धि

कार्यशील पूँजी वित्त प्रबन्ध

इस योजना का लक्ष्य जीवनक्षम और सुप्रबन्धित इकाइयों की कार्यशील पूँजी को चुनिन्दा आधार पर बढ़ाना है ताकि वे आपातकालीन आवश्यकता होने पर उपयोज्य भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जों और उत्पादन सम्बन्धी बँधे खर्च विशेषत: बिजली के बिल, सांविधिक देयताओं का भुगतान कर सकें।

प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं—

- आवेदन फार्म जमा कराना
- एन एस आई सी द्वारा प्राथमिक मूल्य निर्धारण और इकाई निरीक्षण
- संस्वीकृति
- समझौते पर हस्ताक्षर करना
- लघु उद्योग द्वारा दी गई सुविधा का उपयोग करना

कच्चे माल सम्बन्धी सहायता

- छोटी इकाइयों को अधिक मात्रा में कच्चा माल एकत्र करके निधियों को अवरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
- 'ऑफ द शेल्फ' आधार पर कच्चे माल की उपलब्धता को सुकर बनाना।
- दुर्लभ माल के आयात को सुगम बनाना।
- नाल्को, माल्को के साथ एम ओ यू ताकि लघु उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर दुर्लभ माल मिल सके।
- देश के विभिन्न भागों में कच्चे माल के डिपो/गोदाम बनाना।

विपणन सहायता कार्यक्रम

यद्यपि विपणन अनिवार्य रूप से उद्यम से जुड़ा कार्य है लेकिन आज के आर्थिक उदारीकरण समय में इस क्षेत्र में लघु उद्योगों को संस्थागत सहायता की आवश्यकता होती है क्योंकि इन्हें अब ऐसी अन्तर्वर्ती और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ओर से भारी प्रतियोगिता के कारण अपने माल और सेवाओं के विपणन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने अपने क्रिया-कलाप आरम्भ कर दिए हैं और निकट भविष्य में कुछ और कंपनियों के भारत में कार्य शुरू कर देने की सम्भावना है। अत: एन एस आई सी को संवर्धित करने के लिए एक सहायक के रूप में भूमिका निभा रहा है ताकि खुली अर्थव्यवस्था की अतिशयता को वहन कर सके। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने काफी समय से देशों के अन्दर और बाहर विपणन के क्षेत्र में लघु इकाइयों के समर्थन के लिए बहुत से नवीन कार्यक्रमों का आविष्कार किया है। आजादी के बाद के समय में सरकार और इसकी एजेंसियाँ विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने लघु उद्योगों को विभिन्न सरकारी खरीदार एजेंसियों के समीप लाने में नोडल भूमिका निभाई है ताकि खरीदार एजेंसियों में लघु उद्योगों के बारे में विश्वास पैदा हो सके और अपेक्षित गुणवत्ता, आर्थिक मूल का माल और सेवाएँ देने में उनकी क्षमता गुणवत्ता, आर्थिक मूल्य का माल और सेवाएँ देने में इनकी क्षमता और समर्थित सुपुर्दगी अनुसूची का अनुपालन हो सके।

निविदा बाजार

लघु उद्योग/उद्यमों की ओर से एन एस आई सी द्वारा भारी संख्या में स्थानीय/ वैश्विक निविदा में भाग लेना

इसका उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़िया उत्पादों के विनिर्माण की योग्यता पैदा करने में सहायता देना है किन्तु इनमें ब्राण्ड-इक्विटी और विश्वसनीयता अथवा सीमित वित्तीय क्षमता की कमी आड़े आती है।

लघु उद्योग/उद्यमों को उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्रों के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए ताकि वे पात्रता हासिल कर सकें।

इकाइयों के लाभ निम्नानुसार हैं—

- इकाई की व्यक्तिगत माँग के आधार पर लघु उद्योगों को सभी अपेक्षित वित्तीय समर्थन दिया जाता है जैसे कच्चे माल की खरीद और बिक्री का वित्तीयन।
- बढ़े हुए व्यापार के कारण लघु उद्योगों को अधिकतम क्षमता उपयोगिता प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- लघु उद्योगों को पेशगी धन जमा करने की छूट है।
- बड़े और व्यापक निविदाओं में भाग लेने के लिए अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार लघु उद्योगों की सहायता की जाती है।
- परीक्षण सुविधाओं के अलावा गुणवत्ता उन्नयन और नए उत्पाद विकास के लिए लघु उद्योगों की तकनीकी तौर पर उन्नति की जाती है।
- लघु उद्योगों को अपने उत्पादन के लिए बढ़िया लाभांश (फेयर मार्जिन) सुनिश्चित किया जाता है।
- लघु उद्योग उत्पादों का प्रचार।
- लघु उद्योग क्षेत्र से बढ़िया स्तर के उत्पादन।

एकीकृत विपणन समर्थन कार्यक्रम

एन एस आई सी एक एकीकृत विपणन समर्थन कार्यक्रम चला रही है जिसमें आपूर्तियों के बारे में लघु उद्योग इकाइयों द्वारा योग्य खरीदारों के लिए बनाए गए बिलों पर एक विशेष निर्धारित सीमा तक एन एस आई सी द्वारा छूट दी जाती है। यह योजना लघु इकाइयों द्वारा की गई आपूर्तियों के बारे में खरीदारों द्वारा किए जानेवाले विलम्बित भुगतानों की समस्या को कम करने के विचार से लागू की गई है।

सरकारी भण्डार खरीद कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1955-56 में लघु उद्योगों को सरकार और इसके विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य सरकारों सहित की जानेवाली कुल खरीदारियों पर एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने में सहायता देने के विचार से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य यह है कि लघु उद्योग इकाइयाँ इस प्रक्रिया में खरीदार एजेंसियों द्वारा बनाए गए मानकों के अनुरूप ही वस्तुएँ उत्पादित करने में अनुकूल बन सकें।

सरकारी भण्डार खरीद कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व एन एस आई सी द्वारा इकाइयों का पंजीकरण करना है ताकि उन्हें सरकारी आदेशों का निष्पादन करने की पात्रता दिलाई जा सके। यह योजना 1956 से प्रचालन में है और 1976 में संशोधित हुई और इसे 'एकल बिन्दु पंजीकरण योजना' का नाम दिया गया है ताकि अलग-अलग खरीदार संगठनों की पंजीकरण विविधता के साथ निपटा जा सके। सरकारी खरीद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निगम के साथ पंजीकृत इकाइयों पर व्यक्तिगत खरीदार संगठनों के साथ विचार किया जाएगा और सभी लाभ जैसे निविदा फार्मों की निःशुल्क आपूर्ति, पेशगी धन, प्रतिभूति जमा करने में छूट आदि मिल सकेंगे।

प्रौद्योगिकी उन्नयन

लघु उद्योगों को 5 एन एस आई सी-तकनीकी सेवा केन्द्रों, बहुत से एन एस आई सी-तकनीकी सेवा विस्तार केन्द्रों और कई उपकेन्द्रों के माध्यम से उम्दा तकनीकी समर्थन दिया जाता है।

ये प्रशिक्षण केन्द्र निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं—

- परम्परागत और समुन्नत व्यवसायों में तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित कामगार।
- वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य आदि प्ररूपों के विकास में सहायता।
- परीक्षण सुविधाएँ।
- विनिर्माण प्रौद्योगिकी में उभरनेवाले रुख के प्रति सावधानी बरतने के लिए मौजूदा आदि प्ररूपों में कई प्रौद्योगिकियाँ और संशोधन।
- चमड़े के काम और कृषि सम्बन्धी उपकरणों के लिए नई मशीनें और उपकरण।
- इन केन्द्रों को घरेलू अनुसन्धान और विकास के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा मान्यता दी गई है।

प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र

सारे देश और विदेश में फैले लघु और बड़े उद्यमों के बीच प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रसार के लिए मौजूदा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लघु उद्योगों को उचित मार्गदर्शन देने के विचार से एन एस आई सी ने एक प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र स्थापित किया है। नवीनतम जानकारी ऑन लाइन कनैक्शनों और मैचिंग टैक्नोलॉजी प्राप्त करने वाले कम्प्यूटरों पर उपलब्ध कराई जाती है और प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

एन एस आई सी ने सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एस टी पी आई) के अन्तर्गत एक एन एस आई सी एस टी पी परिसर (कॉम्पलैक्स) की स्थापना की है। ये सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क्स लघु इकाइयों को साफ्टवेयर के 100% निर्यात के लिए सुकर बनाती है और साथ ही एन एस आई सी के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात को सीधे ही सक्रिय बनाने के लिए एक नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करती है।

सॉफ्टवेयर विकास में लघु उद्यमियों को संवर्धित करने के लिए ओखला नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क्स परिसर, एस टी पी आई (सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया) के अधीन एन एस आई सी द्वारा स्थापित पार्कों में से एक है।

एन एस आई सी-एस टी पी, वी एस एन एल/सैटकॉम नेटवर्क के माध्यम से उच्च गति बेहतर संचार सुविधाएँ, निर्मित कार्यालय स्थान, निर्बाध पावर सप्लाई, डी जी सैटों के माध्यम से बैक अप पावर, एक आधुनिक व्यवसाय केन्द्र और अन्य प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराता है।

निर्यात

एन एस आई सी व्यापार मेलों में लघु उद्यमियों के उत्पादों को दिखाने, क्रेता-विक्रेता मिलन आदि के साथ-साथ निर्यात सहायता, परीक्षण सुविधाओं, लदानपूर्व साख सुविधा, निर्यात,

प्रोत्साहन आदि का सम्पूर्ण पैकेज उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त एन एस आई सी, सैम्पल दिलवाने, काउंटर सैम्पलों के विकास और विदेशी खरीदारों के साथ पहली बिजनेस डील के लिए बातचीत करवाने के लिए भी इकाइयों की सहायता करता है।

विशेष निर्यात कार्यक्रम : संघ राष्ट्र आपूर्ति (यू. एन. सप्लाइज)

निगम, विश्व में एकमात्र बृहद खरीदार होने के कारण संघ राज्य संगठन की खरीददारी में भारतीय उद्योगों का हिस्सा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। एन एस आई सी ने भारत से भेजे जानेवाले सामान और सेवाओं के सम्भावी आपूर्तिकर्ताओं का एक रोस्टर पहले से ही तैयार कर रखा है जिससे कि विकासशील देशों के आपूर्तिकर्ताओं में इसका नाम शीर्ष पर गिना जाएगा। एन एस आई सी विभिन्न यू एन-भण्डार खरीद एजेंसियों के साथ बहुत सी संगोष्ठियों ओर कार्यशालाओं का आयोजन करती है ताकि यू एन भण्डार खरीद प्रक्रिया और तन्त्र के सम्बन्ध में एस एम ई को जानकारी दी जा सके।

इण्डो-इटैलियन लाइन ऑफ क्रेडिट

इटैलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के अन्तर्गत दी जानेवाली सहायता लघु और मध्यम उपक्रमों के विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रम के संचालन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जो चुनिन्दा क्षेत्रों पर बल डालेंगे जैसे प्लास्टिक, यांत्रिक, ऑटोमोबाइल संघटक, वस्त्र उद्योग, खाद्य-संसाधन और पैकिंग, संगमरमर और ग्रेनाइट संसाधन और निष्कर्षण आदि। लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल इटैलियन मशीनरी की माँग और अभिनिर्धारित क्षेत्रों की सह-सम्बन्धित सेवाओं के लिए किया जा सकता है।

विपणन संवर्धन योजना

लघु उद्योग अपने उत्पादों का विपणन करने में कठिनाई महसूस करते हैं अत: यह उनके लाभ के लिए सहायक प्रक्रिया है। विपणन संवर्धन योजना के घटक निम्नानुसार हैं—

- प्रदर्शनियाँ—अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू
- क्रेता-विक्रेता बैठकें।
- संगोष्ठियाँ, सम्मेलन आदि।
- विपणन उत्पादों/नई परियोजनाओं का विकास
- साहित्य, विवरणिकाएँ एवं उत्पाद विशेष सूचीपत्र का मुद्रण
- विज्ञापन और प्रचार
- निर्यातकों की निर्देशिका तैयार करना और उन्नयन करना।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास

उत्तर पूर्वी क्षेत्रों : असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को कवर करने के लिए एक संवर्धनीय और विकासशील कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि क्षेत्र की लघु उद्योग इकाइयों के लिए संवर्धनीय गतिविधियों को तेज करने की आवश्यकताओं पर विचार किया जा सके।

क्षेत्र की विकासशील योजना उद्यमियों के लिए किराया खरीद सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करने के बारे में है, बाजार समर्थन और लघु उद्योग इकाइयों को सामान्य सुविधा सेवाएँ और कारीगरों का प्रशिक्षण देना है। लकड़ी के कार्य और शीट मेटल वैल्डिंग है जिसके परिणामस्वरूप विनिर्माण प्रक्रिया में सुधार और कौशल उन्नयन होगा। प्रौद्योगिकीय समर्थन के लिए बहुत से निदर्शन, प्रदर्शन और तत्स्थानिक अल्पावधि कौशल उन्नयन, गहन प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।

उत्तर पूर्वी राज्यों में लघु उद्योग इकाइयों को संवर्धन और समर्थन देने के लिए गुवाहाटी में निगम का क्षेत्रीय कार्यालय है और इम्फाल में शाखा कार्यालय है। इसके साथ ही गुवाहाटी में निगम एक निदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है।

अपनी विभिन्न विकासशील योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निगम राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों, भारतीय उद्यमिता संस्थान, सिडबी आदि के साथ मिलकर संगोष्ठियाँ, गहन प्रचार आदि आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त निगम अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाकर, स्थानीय भाषा में विवरणिकाएँ वितरित करके और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर व्यापक प्रचार करता है।